रामकरण बनाम इन्द्रा उर्फ इन्द्रा

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

मु.नं. - 54/2021

तारीख हुक्म	
25-7-23	दारा ...पेश ... पक्षकार ... ...अनुपस्थित ... अधिकारी ... नोटिस है ...अन्य का ... ... रही है ... पत्रावल ... दिनांक 28-8-23 ... को ...
28.08.2023 P.P. 5 अनुपस्थित F.P. 5 लिपिक HEWEC ...	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1014/भू.अ./23 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उक्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अनापत्ति पेश की। वकील वादीगण द्वारा प्रंस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.10.11 10:51:34 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
54 / 2021	2021 / 111	19.04.2021	28.08.2023 (अन्तिम डिकी)

उनवान प्रकरण

1. रामकरण पुत्र काना उम्र 55 वर्ष
2. सुरेश पुत्र काना उम्र 53 वर्ष
3. रामकुंवार पुत्र हणमान उम्र 65 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——वादीगण

बनाम्

1. ईन्द्रा उर्फ ईंदा पुत्र लादूराम आयु 75 वर्ष
2. नेकीराम पुत्र भागीरथ प्रसाद उम्र 50 वर्ष
3. श्रीराम पुत्र चन्द्रा उम्र 50 वर्ष
4. द्वारकाप्रसाद पुत्र चन्द्रा उम्र 58 वर्ष
5. सुवा पुत्र माना उम्र वर्ष
6. धूणाराम पुत्र श्योलाराम
7. छाजूराम पुत्र कालू उम्र 60 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

8. बन्नाराम पुत्र कालू उम्र 65 वर्ष

9. सीताराम पुत्र कालू उम्र 55 वर्ष

10. बाबुलाल पुत्र मुरलीधर उम्र 55

11. सुरजमल पुत्र मुरलीधर उम्र 53

12. संतोष कुमार पुत्र मुरलीधर उम्र 50

13. सज्जन कुमार पुत्र मुरलधर उम्र 48

14. गोठी पुत्री मुरलीधर उम्र 45

15. मनभरी पुत्री मुरलीधर उम्र 43

16. प्रहलाद पुत्र ईन्द्रराम उर्फ ईन्दा उम्र 58

17. दामोदर पुत्र धूणराम उम्र 55

18. सिणगारी पत्नी धूणाराम उम्र 65

18/1 जितेन्द्र पुत्र सिणगारी पत्नी धूणाराम

18/2 नाथी देवी पुत्री सिणगारी पत्नी धूणाराम

18/3 सीता देवी पुत्री सिणगारी पत्नी धूणाराम

18/4 मनभरी पुत्री सिणगारी पत्नी धूणाराम

18/5 कमली पुत्री सिणगारी पत्नी धूणाराम

18/6 कमला पुत्री सिणगारी पत्नी धूणाराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीमकाधाना)

19 रामचन्द्र पुत्र जवाहर उम्र 72

20 सुरेश पुत्र जवाहर उम्र 58

21 सुशीला पुत्री जवाहर उम्र 52

22 तारा पुत्री जवाहर उम्र 48 जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

23 पटवारी पटवार हल्का अणतपुरा

24 उपपंजियक श्रीमाधोपुर

25 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

26 प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा अजीतगढ

27 प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दिवराला

---प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री निखिल शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17, 18/1 से 18/6 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 25 की ओर से

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक, तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 772 रकबा 0.28 है0 खसरा नम्बर 787 रकबा 0.41 है0 खसरा नम्बर 792 रकबा 1.09 है0, खसरा नम्बर 798 रकबा 0.42 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.20 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। जिसके हिस्सा 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, हिस्सा 10/63 – 10/63 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम, हिस्सा 1/63 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम, हिस्सा 1/6 – 1/6 भाग की खातेदारी वादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1021 रकबा 1.19 है0 खसरा नम्बर 966 रकबा 0.55 है0 खसरा नम्बर 967 रकबा 0.55 है0 खसरा नम्बर 969 रकबा 0.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.56 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला राज0 है। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 933 रकबा 0.33 है0 खसरा नम्बर 934 रकबा 0.33 है0 खसरा नम्बर 957 रकबा 0.11 है0 खसरा नम्बर 958 रकबा 1.19 है0 खसरा नम्बर 959 रकबा 0.02 है0 खसरा नम्बर 968 रकबा 0.62 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.60 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है जिसके हिस्सा 1/3 – 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.01 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसके हिस्सा 5/21 – 5/21 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम, हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी [illegible] के नाम, हिस्सा 1/42 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] चली आ रही है। कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमि खसरा नम्बर 1020 रकबा 2.04 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसके हिस्सा 5/21 – 5/21 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम, हिस्सा 8/27 भाग की खतोदारी प्रतिवादी संख्या 6 के नाम, हिस्सा 1/42 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सख्या 2 के नाम, हिस्सा 11/54 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के मृतक पिता मुरलीधर पुत्र गोपीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 807 रकबा 1.20 है0, ख0न0 842 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसके हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, हिस्सा 1/4 – 1/4 भाग की खातेदारी वादी संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1013 रकवा 0.02 है0, ख0न0 843 रकबा 0.46 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 18 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 844 रकबा 0.78 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसकी खातेदारी वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 846 रकबा 0.40 है0, ख0न0 847 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसके हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, हिस्सा 5/63 – 5/63 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम, हिस्सा 1/126 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम, हिस्सा 1/12 – 1/12 भाग की खातेदारी वादी संख्या 1 ता 2 के नाम, हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 794 रकबा 0.95 है0, ख0न0 [illegible] रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 811 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसके हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23

1/2 – 1/2 भाग की खातेदारी वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 804 रकबा 0.75 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसके हिस्सा 1/2 – 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.26 है0 ख0न0 947 रकबा 0.33 है0 खसरा नम्बर 997 रकबा 0.03 ख0 न0 998 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.67 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसके हिस्सा 1/4 – 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 790 रकबा 0.30 है0 ख0न0 817 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 820 रकबा 0.57 ख0न0 821 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.09 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हैं। जिसकी खातेदारी वादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 एवं इनके बुजुर्गान काफी समय तक संयुक्त रूप से उक्त भूमियों पर काबिज काश्त रहे है। वादी संख्या 1 ता 2 के दादा का नाम सुखा था। जिसके दो पुत्र लादू व श्योला हुये। जिनमें लादू के वारिसान/पुत्र चन्द्रा, काना, इन्दा हुये तथा श्योला के पुत्र धूणाराम हुआ। सुखा के उक्त सभी पुत्र/पौत्र संयुक्त रूप से उक्त भूमियों पर काबिज काश्त रहे। उक्त संयुक्त परिवार का कर्ताखानदान प्रतिवादी संख्या 6 धूणाराम था। जिसमें कर्ताखानदान ने संयुक्त परिवार की आय से अन्य भूमियां भी क्रय की थी। उक्त भूमियों में संयुक्त परिवार में आपस में हुये बाहमी बंटवारा अनुसार उक्त भूमियो के 1/4 हिस्से पर चन्द्रा व 1/4 हिस्से पर इन्दा व 1/4 हिस्से पर काना, 1/4 हिस्से पर धूणाराम काबिज काश्त हो गये तथा उक्तानुसार उक्त भूमियों का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इसके अलावा वादीगण एव प्रतिवादीगण जो कि पडौसी काश्तकार भी है ने अपनी भूमियों का सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग करने के लिए अपने हिस्से व आस अन्य भूमियों से एकाकार करके उक्त भूमियो पर सुविधानुसार काश्त करने के लिए उक्त भूमियो की आपस में अदला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23

बदली करके काबिज काश्त हो गये। उक्त वर्णित भूमियो मे कुछ भूमिया पैतृक है एव कुछ भूमिया सयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई थी तथा कुछ भूमियो पर पक्षकारान अपनी सुविधानुसार अदला बदली करके काबिज काश्त हो गये। जब भी उक्त भूमियॉ कय की गई तो संयुक्त परिवार के चलते कर्ताखानदान प्रतिवादी संख्या 6 के बताये अनुसार उक्त भूमियो की खातेदारी आपसी रजामदी एव सहमति से एक ही व्यक्ति के नाम करवाई गई। उक्त भूमियों के संबंध में अर्सा करीब पांच वर्ष पूर्व सभी पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा करके बाहमी बंटवारा अनुसार सभी काश्तकार/पक्षकारान अलग अलग काबिज काश्त हो गये। उक्त भूमियां वर्तमान में मौके पर बंटी हुई है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सामलाती एवं एक दूसरे के नाम दर्ज चली आ रही है। बाहमी बंटवारा अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियों पर सभी पक्षकारान अलग अलग मकानात आदि बनाकर पूर्णतया काबिज काश्त एवं आबाद चले आ रहे है। जिसके अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि ख0न0 772 रकबा 0.28 है0 सम्पूर्ण भूमि बाहमी बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 के कब्जे काश्त में, कृषि भूमि खसरा नम्बर 787 रकबा 0.41 है0 वादी संख्या 3 के कब्जे काश्त में, ख0न0 792 रकबा 1.09 है0, ख0न0 798 रकबा 0.42 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसमें वादी संख्या 3 के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 787 रकबा 0.41 है0 में से 0.3750 है0 भूमि कृषि भूमि के रूप में एवं 0.035 है0 भूमि रास्ते के रूप मे उपयोग आ रही है। इसी प्रकार बाहमी बंटवारानुसार वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1021 रकबा 1.19 है0 में से 0.99 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 ता 2 व 0.20 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज काश्त चला आ रहा है एवं भूमि खसरा नम्बर 966 रकबा 0.55 है0 खसरा नम्बर 967 रकबा 0.55 है0 पर वादी संख्या 1 ता 2 काबिज काश्त चले आ रहे एवं भूमि खसरा नम्बर 969 रकबा 0.27 है0 पर प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार बाहमी बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 3 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 968 रकबा [illegible] भूमि पर वादी संख्या 1 ता 2 काबिज काश्त चले आ रहे है [illegible] अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 4 मे वर्णित भूमि खसरा [illegible] 0.01 है0 वादी संख्या 1 ता 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

20/10/23

काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार बाहमी बटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 5 मे वर्णित भूमि ख0 न0 1020 रकबा 2.04 है0 में से 0.39 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 ता 2, रकबा 1.2045 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 एवं रकबा 0.4155 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 काबिज काश्त चले आ रहे है एवं 0.03 है0 भूमि रास्ते के रूप में उपयोग मे आ रही है। इसी प्रकार बाहमी बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 6 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 807 रकबा 1.20 है0 मे से 0.96 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व रकबा 0.24 है. भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 842 रकबा 0.20 है0 पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार वादपत्र की मद नम्बर 7 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 843 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर है जो बाहमी बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 के हक हिस्से में आई हुई। परन्तु उक्त भूमियां जब पक्षकारान की संयुक्त आय से कय की गई तो उसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 की पत्नि जो की प्रतिवादिया संख्या 19 के रूप में पक्षकार है के नाम दर्ज करवा दी गई थी। इसलिये उक्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 19 के नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा की कानूनी स्थिति नही रही है। इसी प्रकार बाहमी बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 8 में वर्णित भूमि ख0 न0 844 रकबा 0.78 है0 मे से 0.39 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 एवं 0.39 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी प्रकार बाहमी बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 9 में वर्णित ख0 न0 846 रकबा 0.40 है0, ख0न0 847 रकबा 0.40 है0 पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 काबिज काश्त चले आ रहे है। जिनमे से भूमि ख0 न0 846 रकबा 0.40 है0 मे से 0.37 है0 भूमि कृषि भूमि के रूप में एवं 0.03 है. भूमि रास्ते के रूप में काम [illegible] बाहमी बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 10 में वर्णि[illegible]5 है0, ख0 न0 811 रकबा 0.09 है0, ख0 न0 806 र[illegible]वादी संख्या 3 ता 4 काबिज काश्त चले आ रहे है एंव 0.03 हैक्टर भूमि रास्ते [illegible] रूप में उपयोग मे आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23

बाहमी बटवारा अनुसार मद नम्बर 12 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि मे से रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर वादी सख्या 1 ता 2 एव रकबा 0.16 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी सख्या 6 काबिज काश्त चला आ रहा है। बाहमी बटवारा अनुसार वाद पत्र की मद सख्या 13 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 790 रकबा 0.30 हैक्टर पर प्रतिवादी सख्या 1 काबिज काश्त चला आ रहा है।

उक्त वर्णित भूमियो का बाहमी बटवारा पक्षकारान के मध्य हो चुका है तथा सभी पक्षकारान उक्त भूमियों पर बाहमी बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से आई भूमियो पर काबिज काश्त चले आ रहे। बाहमी बंटवारे के समय तैयार हुआ था कि जिस भी व्यक्ति के हक मे जो भूमि आयेगी। उसके अनुसार उनके हक मे खातेदारी दर्ज करवाकर एक दुसरे के हक मे राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवा देगे तथा बाहमी बंटवारा अनुसार तकारमा करवाकर राजस्व रिकोर्ड में तन्हा खातेदारी दर्ज करवाकर अपना नाम एक दुसरे की भूमि से हजफ करवा लेगे। उक्त भुमियां मौके पर बंटी हुई है परन्तु खातेदारी अलग–अलग दर्ज चली आ रही है। वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को बाहमी बंटवारे में अपने–अपने हिस्से में आई भूमियां का बंटवारा करके राजस्व रिकोर्ड को एक दुसरे के पक्ष में दुरूस्त करवाकर मौका स्थिति के अनुसार बंटवारे के लिये कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा कोई न कोई बहानेबाजी करके शीघ्र ही बाहमी बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्त करवाने का आश्वासन देते रहे परन्तु वर्तमान में जमीनों की बढ़ती किमतों को देखकर प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है तथा मौका स्थिति व बाहमी बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्त करवाने में आना कानी करने लगे है। इसलिये वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा अनुसार खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि का स्वयं को काबिज खातेदार उद्घोषित करवाने एवं मौका स्थिति के अनुसार विधिक तकारमा करवाने के विधिक अधिकारी है तथा उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा अनुसार वा[illegible] मद नम्बर 15 में वर्णितानुसार खातेदारान/पक्षकारान को अल[illegible]घोषित फरमाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादपत्र मे वर्णित भूमि [illegible]नाजा का बाहमी बंटवारा अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

20/08/23

काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं वादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने एवं भूमि ख0 न0 787 रकबा 0.41 है0 में से 0.3750 है0 की किस्म बारानी 3 एवं रकबा 0.035 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाई जाने तथा कृषि भूमि ख0 न0 1021 रकबा 1.19 है0, ख0 न0 966 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 967 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 969 रकबा 0.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.56 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से भूमि ख0 न0 1021 रकबा 1.19 है0 में से हिस्सा 99/119 भूमि का वादी संख्या 1 ता 2 को एवं हिस्सा 20/119 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाये जाने एवं भूमि ख0 न0 966 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 967 रकबा 0.55 है0 का वादी संख्या 1 ता 2 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार प्रतिवादी संख्या 6 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने एवं भूमि ख0 न0 969 रकबा 0.27 है0 का प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार प्रतिवादी संख्या 6 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जानें तथा कृषि भूमि ख0 न0 968 रकबा 0.62 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हिस्सा 27/62 भाग का वादी संख्या 1 ता 2 एवं हिस्सा 37/62 भाग का प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाये जाने तदनुसार हिस्सा 27/62 भाग भूमि से प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने तथा कृषि भूमि ख0 न0 1019 रकबा 0.01 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी संख्या 1 ता 2 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाये जाने तदनुसार प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 6 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने तथा भूमि ख0 न0 1020 रकबा 2.04 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में हिस्सा ... /204 भाग का वादी संख्या 1 ता 2 को, हिस्सा 803/1360 भाग का प्रतिवादी संख्या 6 को, हिस्सा 830/4080 का प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 को, हिस्सा 3/204 भाग किस्म गैर मुमकीन रास्ता का वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/21

खातेदारी दर्ज नही होने एव मौका स्थिति के अनुसार बटवारा नही होने से वादीगण को सख्त हकतलफी है। भूमि का विभाजन नही होने से व प्रतिवादीगण की भूमि मुतनाजा मे बेजा हरकतो से वादीगण का भूमि को शामिल मे काश्त करना व उपयोग उपभोग करना मुश्किल हो गया है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का तकास्मा करवाया जाकर बाहमी बंटवारा अनुसार तन्हा खातेदारी अलग-अलग अंकित किया जाना व उसके मौका स्थिति के अनुसार तकास्मा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं तथा प्रतिवादीगण को बिना बंटवारे के शामलाती अविभक्त शामलाती भूमियों के किसी भी विशेष भू-भाग पर निर्माण करने, दीगर को बैचान करने या स्वयं का विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने का कोई कानूनी हक अधिकार किसी किस्म का नही है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 18 ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा हैं। इसलिए वादी ने बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 ता 18 को कहा तो वह आजकल-आजकल करते रहें परन्तु दिनांक 29.03.2021 को प्रतिवादी नं. 1 ता 18 ने भूमियों कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा बिना विभाजन के भूमियों के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने, एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमियों में जबरन ताकत के बल पर निर्माण करने, कब्जा करने एवं स्वयं के नाम विद्युत कनैक्शन लेने की एलानियां धमकी देने से वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना लाजिमी हुआ है। वादीगण ने उक्त वर्णित कृषि भूमि ख0 न0 772 रकबा 0.28 है0, ख0 न0 787 रकबा 0.41 है0, ख0न0 792 रकबा 1.09 है0, ख0 न0 798 रकबा 0.42 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.20 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में से ख0 न0 772 रकबा 0.28 है0 का प्रतिवादी संख्या 5 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं वादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकोर्ड से हजफ फरमाये जाने एवं ख0 न0 787 रकबा 0.41 है0 सम्पूर्ण का वादी संख्या 3 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फ[illegible]कर तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं वादी संख्या 1 व 2 [illegible] फरमाये जाने एवं ख0 न0 792 रकबा 1.09 है0, ख0 न0 798 रकबा 0.[illegible] है0 का प्रतिवादी संख्या 1 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या 1 ता 2 प्रतिवादी संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाये जाने तदनुसार प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने तथा कृषि भूमि ख0 न0 807 रकबा 1.20 है0, ख0 न0 842 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे से भूमि ख0 न0 807 रकबा 1.20 है0 के हिस्सा 96/120 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 24/120 भाग का प्रतिवादी संख्या 6 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड से वादी संख्या 1 ता 2 का नाम हजफ फरमाये जाने एव कृषि भूमि ख0 न0 842 रकबा 0.20 है0 का प्रतिवादी संख्या 6 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने तथा भूमि ख0 न0 844 रकबा 0.78 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के हिस्सा 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को व हिस्सा 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 6 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने तथा भूमि ख0 न0 846 रकबा 0.40 है0, ख0 न0 847 रकबा 0.40 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर वादी संख्या 1 व 2, प्रतिवादी संख्या 1, 2 प्रतिवादी संख्या 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने एवं कृषि भूमि ख0 न0 846 मे हिस्सा 37/40 भाग की किस्म बारानी 2 व हिस्सा 3/40 भाग की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम दर्ज किये जाने तथा कृषि भूमि ख0 न0 794 रकबा 0.95 है0, ख0 न0 806 रकबा 0.05 है, ख0 न0 811 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीक[illegible] 4 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जा[illegible] का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने तथा कृषि [illegible] 0.75 है0 अवस्थित तन ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23

अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के हिस्सा 9/75 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 को, हिस्सा 63/75 भाग का प्रतिवादी संख्या 3 ता 4, हिस्सा 3/75 भाग किस्म गैर मुमकीन रास्ता का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 4 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने तथा कृषि भूमि ख0 न0 1017 रकबा 0.26 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के हिस्सा 5/13 भाग का वादी संख्या 1 ता 2, हिस्सा 8/13 भाग का प्रतिवादी संख्या 6 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने तथा कृषि भूमि ख0 न0 790 रकबा 0.30 है0 अवस्थित तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का प्रतिवादी संख्या 1 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाकर तदनुसार वादी संख्या 3 का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तकास्मा किया जाकर बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार अलग--अलग काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग--अलग खसरा नम्बरान कायम किये जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी सभी काश्तकारान की अलग–अलग सीमा कायम की जाकर तदनुसार सभी पक्षकारान का एक दुसरे की भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम हजफ फरमाया जाकर सभी पक्षकारान को बाहमी बंटवारे में आई भूमि का तन्हा काबिज खातेदार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने कि वे उक्त वर्णित भूमि के वादीगण के कब्जा काश्त में न तो स्वयं मजाहमत पैदा करे तथा ना ही दुसरे से करावे तथा न ही वादीगण के उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में स्वय मजाहमत पैदा करे तथा ना ही दुसरे से करावे तथा न ही बाहमी बंटवार अनुसार काबिज पक्षकारान के एक दुसरे के कब्जे काश्त में [illegible] खातेदारी की आड मे न तो स्वय कब्जा करे तथा न ही दीगर से करावे तथा उक्त वादग्रस्त भूमियों का बिना विधिक तकारमा करवाये अंतरित नहीं करे तथा [illegible] बेचान आदि करने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किये जाने हेतु व[illegible] बाबत ईस्तकरार हक, तकारमा एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23

बाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 7, 9, 11 लगायत 15 व 17 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 की ओर से श्री निखिल शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 18 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार होकर प्रतिवादी संख्या 18 के वारिसान को प्रतिवादीगण संख्या 18/1 लगायत 18/6 प्रतिस्थापित किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 8, 10, 16, 17, 18/1 लगायत 18/6 के द्वारा भी वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 19 लगायत 22 के सम्मन नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से एंव प्रतिवादी संख्या 25 की तामील साधारण तरीके से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 22 व 25 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 26 लगायत 27 के खिलाफ वादपत्र विड्रा किये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किये जाने पर प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र से प्रतिवादी संख्या 26 लगायत 27 के विरूद्ध वादपत्र विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीगण एंव प्रतिवादीगण को वादपत्र में अंकित अनुतोष में वर्णित इस्तदुआ अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व [illegible] अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग [illegible] तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] निवेदन किये जाने पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते [illegible] प्रकरण मे पारम्भिक डिक्री जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

28/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किये जाने हेतु पत्रावली की आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। वकील वादीगण के निवेदन एंव वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.10.2022 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.10.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम- 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/रथा/प-51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 123/रीडर/2023 दिनांक 13.01.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1014/भू.अ./2023 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीगण ने प्रकरण में पक्षकारान् प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 7, 9, 11 लगायत 15, 17 के द्वारा वादीगण के पक्ष मे इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया। वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। जिस पर उपस्थित [illegible] प्रस्तावानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादीगण व वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

20/08/23

प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

कियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरार हक, तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1014 / भू.अ. / 23 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट व सलंग्न नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 30.06.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:—

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :—

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	इन्द्राराम पुत्र लादूराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार	3177/[illegible] 3178/[illegible]90 3179/7[illegible] 792	[illegible]780 [illegible]0100 0.0120 1.0900	बारानी—3 गै0मु0रास्ता बारानी—3 चाही—1	नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

20/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

		798 807 / 1 3234 / 804 / 1	0.4200 0.9600 0.0900	बारानी–3 बारानी–2 बारानी–3	
	योग खाता	किता–7	2.8690	बारानी–3	
2	सुवा पुत्र माना जाति अहीर सा0 देह खातेदार	3182 / 772 3183 / 772	0.2500 0.0300	बारानी 3 गै0मु0रास्ता	
	योग खाता	किता–2	0.2800		
3	रामकुंवार पुत्र हनुमान जाति अहीर सा0 देह खातेदार	3224 / 787 3225 / 787 3226 / 787	0.1460 0.0380 0.2260	बारानी–3 गै0मु0रास्ता बारानी–3	
	योग खाता	किता–3	0.4100		
4	द्वारका प्रसाद, श्रीराम पुत्रगण चन्द्रा जाति अहीर सा0 देह खातेदार	3173 / 794 3174 / 794 3234 / 804 / 2 3239 / 846	0.0180 0.9320 0.6300 0.0230	गै0मु0 रास्ता 0.8400 चाही–1 0.0920 बारानी–2 बारानी–3 गै0मु0रास्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

20/08/23
श्रीमाधोपुर

		3240 / 846	0.3770	बारानी–2	
		847	0.4000	बारानी–2	
		844 / 1	0.3900	बारानी–2	
		806	0.0500	बारानी–2	
		811	0.0900	चाही–1	
	योग खाता	किता–9	2.9100		
5	धूणाराम पुत्र श्योलाराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार	807 / 2	0.2400	बारानी–2	
		842	0.2000	बारानी–2	
		3153 / 1020	1.2045	बारानी–2	
		1021 / 1	0.2000	बारानी–2	
		844 / 2	0.3900	बारानी–2	
		1017 / 1	0.1600	बारानी–1	
	योग खाता	कुल किता–6	2.3945		
6	रामकरण, सुरेश पुत्रगण कानाराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार	1019	0.0100	बारानी–2	
		3153 / 1020 / 2	0.3900	बारानी–2	
		1021 / 2	0.9900	बारानी–2	
		966	0.5500	0.4900 चाही–1 0.0600 बारानी–1	
		967	0.5500	0.4700 चाही–1 0.0800 बारानी–1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

20/08/23

		968 / 1 1017 / 2	0.2700 0.1000	चाही–1 बारानी–1	
	योग खाता	किता–7	2.8600		
7	छाजूराम, बन्नाराम, सीताराम पुत्रगण कालूराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार	969 968 / 2	0.2700 0.3500	चाही–1 चाही–1	
	योग खाता	किता–2	0.6200		
8	बाबूलाल, सुरजमल, संतोष कुमार, सज्जन कुमार पुत्रगण मुरलीधर, गोठी, मनभरी पुत्रियां मुरलीधर समस्त जाति अहीर सा0 देह खातेदार	3153 / 1020 / 3	0.4150	बारानी–2	
9	इन्द्राराम पुत्र लादूराम, द्वारका प्रसाद, श्रीराम पुत्रगण चन्द्रा समस्त जाति अहीर सा0 देह खातेदार	3233 / 804	0.0300	गै0मु0रास्ता	
10	रामकरण, सुरेश पि0 कानाराम, धूणाराम पुत्र श्योलाराम, बाबूलाल, सुरजमल, संतोष कुमार, सज्जन कुमार पुत्रगण मुरलीधर, गोठी, मनभरी पुत्रियां मुरलीधर समस्त जाति अहीर सा0 देह खातेदार	3152 / 1020	0.0240	गै0 मु0 रास्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested

20/08/23

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 1014 / भू.अ. / 23 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.11 10:51:34 IST
Reason: SelfAttested